2007 का विधेयक संख्यांक .

[दि नेशनल रूरल इम्प्लाएमेंट गारंटी (एक्सटेंशन टू जम्मू एंड कश्मीर) बिल, 2007 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (जम्मू-कश्मीर पर विस्तार) विधेयक, 2007

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (जम्मू-कश्मीर पर विस्तार) अधिनियम, 2007 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि ऐसे क्षेत्रों में उस अधिनियम के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का विस्तार और संशोधन ।

2. (1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) और उसके अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों, आदेशों और स्कीमों का जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार किया जाता है और जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त होंगे । 2005 का 42

(2) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से, मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

ऐसी विधि के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन जो जम्मू-कश्मीर में प्रवृत्त नहीं है ।

3. मूल अधिनियम में वर्णित किसी अधिनियम के किसी ऐसी विधि के प्रति निर्देश का, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, उस राज्य के संबंध में, उस राज्य में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के बारे में, यदि कोई है , यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके प्रति निर्देश है ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एनआरईजी ऐक्ट) किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण गृहस्थियों को जिसके सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य के रूप में कम से कम सौ दिन के मजदूरी नियोजन के लिए विधिक गारंटी का उपबंध करता है । धारा 1 की उपधारा (2) के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है ।

2. तथापि, जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार ने यह सिफारिश की है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उस राज्य पर भी विस्तार किया जाए । राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार करने का निर्णय लिया गया है ताकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को फायदा हो ।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तरह राज्य के निर्धारित किए गए तीन जिलों में एक रोजगारी गारंटी स्कीम पहले से ही प्रचालन में है जिसके लिए राज्य को अधिनियम के अधीन अन्य राज्यों को उपलब्ध कराए जाने के समान, निधियां उपलब्ध कराई जा रही है । प्रस्तावित संशोधन जम्मू-कश्मीर राज्य के मजदूरी चाहने वालों को वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन के मजदूरी रोजगार की गारंटी द्वारा प्रचलित स्कीम को विधिक आधार उपलब्ध कराएगा । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 1 (2) में संशोधन करने से अधिनियम के सभी उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू हो जाएंगे ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
15 फरवरी, 2007

रघुवंश प्रसाद सिंह

वित्तीय ज्ञापन

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 देश के एक सौ सतानवें निर्धारित किए गए जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है । अधिनियम किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण गृहस्थी के लिए, जिसके सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य के रूप में कम से कम सौ दिन के मजदूरी नियोजन के लिए एक विधिक गारंटी का उपबंध करता है ।

2. यद्यपि, उक्त अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है, तथापि रोजगार गारंटी स्कीम राज्य के तीन निर्धारित किए गए जिलों अर्थात्, पुंछ, डोडा और कुपवाड़ा में पहले से ही प्रचालन में है । इन जिलों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि उपलब्ध कराई जा रही है जैसे कि अधिनियम के अधीन अन्य राज्यों को उपलब्ध कराई जा रही है ।

3. वार्षिक योजना/ बजट, स्कीम के समर्थन को जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए अपेक्षित निधियों सहित वर्ष 2006-07 के लिए 11,300 करोड़ रुपए प्राक्कलित करता है । दोनों आवर्ती और अनावर्ती व्यय जो वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान उपगत किया जा सकेगा, की पूर्ति इस बजटीय आबंटन से की जाएगी । इस प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार करने से कोई अतिरिक्त वित्तीय विवक्षा नहीं होगी और इससे केवल राज्य के निर्धारित किए गए जिलों में मजदूरी चाहने वालों को किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन के मजदूरी रोजगार की विधिक गारंटी का उपबंध होगा ।

4. विधेयक में किसी आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई और व्यय अन्तवर्लित नहीं है ।

उपाबंध

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 से उद्धरण

(2005 का 42)

* * * * *

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1.(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 है । 2005 का 42

* * * * *